राजस्थान सरकार
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

क्रमांक :पीएसकेएस अभि.–2021/डीएलबी/21/5674 दिनांकः– 29/06/2022

आदेश

माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा की गई बजट घोषणा वर्ष 2022–23 के बिन्दु संख्या 40 की अनुपालना में निम्न निर्देश जारी किये जाते हैः–

1. सर्वेशद्धा कच्ची बस्तियों में कब्जों के नियमन की कट ऑफ डेट 15.08.2009 से बढ़ाकर 31.12.2021 की जाती है।
2. पट्टे हस्तानान्तरणीय होने के पूर्ववर्ती प्रावधान में प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021 में यह प्रावधान किया है कि, पट्टा जारी होने के 10 (दस) वर्ष बाद ऐसा पट्टा हस्तान्तरणीय हो सकेगा, इस 10 वर्ष की अवधि को 03 वर्ष किया जाता है।
3. 110 वर्गगज से 200 वर्गगज तक में अतिरिक्त कब्जेशुद्धा भाग के क्षेत्र की आरक्षित दर अथवा डी.एल.सी.दर, जो भी कम हो, की 10 प्रतिशत की दर पर उक्त अतिरिक्त भाग के पट्टे दिये जावेगें।

उक्त निर्देश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(कुन्जी लाल मीणा)
प्रमुख शासन सचिव
नगरीय विकास विभाग

(डॉ. जोगा राम)
शासन सचिव
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक :पीएसकेएस अभि.–2021/डीएलबी/21/5675–6213 दिनांकः– 29/06/2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, सलाहकार, नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
6. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण।
7. समस्त उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
8. समस्त आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका, राजस्थान।
9. समस्त महापौर/सभापति/अध्यक्ष नगर निगम/परिषद/पालिका, राजस्थान।
10. समस्त सचिव, नगरीय विकास न्यास, राजस्थान।
11. संयुक्त निदेशक, आई.टी. अनुभाग निदेशालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
12. सुरक्षित पत्रावली।

(ह्रदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

D/PSKS2021/Order